



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223991  
CG-DL-E-29122020-223991

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942

No. 667]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/ PAUSHA 8, 1942

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 802(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं भारत के पदेन जनगणना आयुक्त, निदेशक(इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 1982, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक(इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2006, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय [संयुक्त निदेशक(इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण)] भर्ती नियम, 2000, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप निदेशक(इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) भर्ती नियम, 2000, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय[सहायक निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण)] भर्ती नियम, 2000, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क", भर्ती नियम, 2000 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्य निदेशक जनगणना कार्य एवं संघ क्षेत्र सहायक निदेशक (डाटा केंद्र) भर्ती नियम 2002 तथा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्य तथा संघ क्षेत्र जनगणना कार्य निदेशालय, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, भर्ती नियम, 2013, का इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या छोड़े गए किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में, विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) (1)** इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय में सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग(समूह "क" एवं समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2020 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल:** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न उल्लिखित अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक	01*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 131100-216600 पे मैट्रिक्स में लेवल 13ए	चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नतिया प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	<p><b>पदोन्नति:</b></p> <p>(i) रुपये 123100-215900 पे मैट्रिक्स में लेवल 13 में तकनीकी निदेशक, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p><b>नोट 1 :</b> वरिष्ठ तकनीकी निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा अतिरिक्त निदेशक (एलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) (तकनीकी निदेशक के रूप में पुनःनामित) के रूप में प्रदत्त सेवा गिनती की जाएगी।</p> <p><b>नोट 2 :</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p>

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल है: (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) भारत के महारजिस्ट्रार - सदस्य (3) संयुक्त सचिव (प्रशा.) गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. तकनीकी निदेशक	4*(20) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 123100-215900 पे मैट्रिक्स में लेवल 13	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b> रुपये 78800-209200 पे मैट्रिक्स में लेवल 12 में संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p><b>नोट 1 :</b> तकनीकी निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा संयुक्त निदेशक (एलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) (संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, के रूप में पुनःनामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।</p> <p><b>नोट 2 :</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से</p>

	<p>अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक -संविदा सहित) :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी, -</p> <p>(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रुपये 78800-209200 पे मैट्रिक्स में लेवल 12 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्यूटरकृत सूचना भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली</p>
--	---

		<p>या डाटा सुरक्षा का बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग</u> <u>बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</li> <li>भारत के महारजिस्ट्रार - सदस्य</li> <li>संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय या भारत के अपर महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</li> </ol>	<p>किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	12*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 78800-209200 पे मैट्रिक्स में लेवल 12	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>रूपये 67700-208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11 में उप निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्थान से संबन्धित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>नोट 1 :</b> संयुक्त निदेशक,सूचना प्रौद्योगिकी, पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा उप निदेशक (एलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) (उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में पुनःनामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।</p> <p><b>नोट 2 :</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 67700-208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समक्ष हों; और</p>

		<p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्यूटरकृत सूचना भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का दस वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--



(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. भारत के महारजिस्ट्रार - सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय या भारत के अपर महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) उप निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी)	38*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 67700 - 208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>रुपये 56100-177500 पे मैट्रिक्स में लेवल 10 में सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और प्रशिक्षण रखते हों :</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या</p>

	<p>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक और</p> <p>(ख) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्थान से संबन्धित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर ग्रेड के अधिकारियों के पदोन्नति हेतु फीडर ग्रेड में अधिकारियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के समय नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों।</p> <p><b>नोट 2 :</b> उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा सहायक निदेशक (एलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण) और सहायक निदेशक (डाटा केंद्र) (सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में पुनःनामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।</p> <p><b>नोट 3 :</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 56100-177500 पे मैट्रिक्स में लेवल 10 पर</p>
--	--

	<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिक स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक</p> <p>ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्यूटरकृत सूचना भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का पाँच वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग</u> <u>बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <p>1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष</p> <p>2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार या निदेशक (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p> <p>3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) सहायक निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी)	87*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 56100-177500 पे मैट्रिक्स में लेवल 10	चयन

(6)	(7)	(8)
<p>35 वर्ष से अधिक न हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट।</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।</p>	<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का तीन वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> यदि अभ्यार्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण</p>	<p>नहीं</p>

	<p>रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान संघ लोक सेवा आयोग का अभिमत है कि इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है।</p>	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	67% पदोन्नति द्वारा, 33% सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>रुपये 47600-151100 पे मैट्रिक्स में लेवल-8 ग्रेड में प्रोग्रामर पद पर दो वर्षों की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग से तीन हफ्तों का डाटा प्रसंस्करण लेवल-1 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।</p> <p><b>नोट :</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p>

(12)	(13)
<p>(1) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</p> <p>2. भारत के महारजिस्ट्रार</p> <p>3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय</p>	<p>पद पर नियुक्ति के समय, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।</p> <p style="text-align: right;">- अध्यक्ष</p> <p style="text-align: right;">- सदस्य</p> <p style="text-align: right;">- सदस्य</p>

(2) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:	
1. भारत के महारजिस्ट्रार	- अध्यक्ष
2. निदेशक(प्रशा.) या उप सचिव(प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6). प्रोग्रामर	228*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 47600- 151100 पे मैट्रिक्स में लेवल 8	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b> रुपये 44900-142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7 में डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "ख" में दो वर्षों की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो।</p> <p><b>नोट:</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप</p>

	<p>पद पर हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 44900-142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>(ii) वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या डाटा बेस प्रबंधन या साइबर सुरक्षा सहित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <p>1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक(प्रशा.) या उप सचिव(प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p> <p>3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(7) डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "ख"	332*(2020) * कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 44900-142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b> रुपये 35400-112400 पे मैट्रिक्स में लेवल-6में डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क" के ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड"ख" पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक (डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड"क"के रूप में पुनःनामित) के रूप में प्रदत्त सेवा गिनती की जाएगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमोंया सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 35400-</p>



		<p>112400पे मैट्रिक्स में लेवल-6 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या</p> <p>(ii) (क). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकीया कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>(ख) वास्तविक प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंगया नेटवर्किंग या डाटा बेस प्रबंधन या साइबर सुरक्षा सहित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग</u> <u>बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:</p> <p>1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक(प्रशा.) या उप सचिव(प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p> <p>3. तकनीकी निदेशक या संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(8) डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क"	600*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 35400-112400 पे मैट्रिक्स में लेवल-6	चयन

(6)	(7)	(8)
<p>30 वर्ष से अधिक न हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट।</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।</p>	<p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकीया सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>या</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री।</p> <p>या</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्षों के अनुभव के साथ वास्तविक प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर विकास या वेब डिज़ाइनिंग या नेटवर्किंग या डाटाबेस प्रबंधन या साइबर सुरक्षा का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> यदि अभ्यर्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे मामलों में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का अभिमत है कि इन समुदायों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है।</p>	नहीं

(9)	(10)	(11)
<p>सीधी भर्तियों एवं पदोन्नत व्यक्तियों के लिए के लिए दो वर्ष</p>	<p>80% पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती 20% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p><b>पदोन्नति :</b> रुपये 29200-92300पे मैट्रिक्स में लेवल 5 में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड "ख" में छः वर्ष की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो।</p> <p><b>नोट:</b> जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।</p>

(12)	(13)
<p><b>1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</b></p> <p>1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक (प्रशा.) या उप सचिव (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p> <p>3. तकनीकी निदेशक या संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य</p> <p><b>2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</b></p> <p>1. निदेशक (प्रशा.) या उप सचिव (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - अध्यक्ष</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

2. संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	
3. उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	

[फा. सं. ए-51011/1/2016-प्रशा. V]

डा. विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2020

**G.S.R. 802(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, Director (Electronic Data Processing), Recruitment Rules, 1982, Office of the Registrar General, India, Additional Director (Electronic Data Processing) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2006, the Office of the Registrar General, India [Joint Director (Electronic Data Processing)] Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India, Deputy Director (Electronic Data Processing) Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India [Assistant Director (Electronic Data Processing)] Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India, Data Processing Assistant Grade 'A' Recruitment Rules, 2000, Office of Registrar General, India and the Directors of Census Operations in States and Union Territories Assistant Director (Data Centre) Group Recruitment Rules, 2002, and the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Senior Supervisor, Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts of Information Technology Cadre in the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union Territories, under the Ministry of Home Affairs, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories in Information Technology Cadre (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**-No person,-

- who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Technical Director.	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13A in the pay matrix Rs.131100-216600.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and essential educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion / deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Technical Director in level-13 in the pay matrix Rs.123100-215900 with two years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> For the purposes of promotion to the post of Senior Technical Director, service rendered by the incumbent as Additional Director (Electronic Data Processing) (re-designated as Technical Director) shall also be counted.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two</p>

			years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: -</b>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman	
2. Registrar General, India -Member	
3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Technical Director	4* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Service, Gazetted, Ministerial	Central Group 'A' Non-215900	Level-13 in the pay matrix Rs.123100-215900

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Joint Director (Information Technology) in level – 12 in the pay matrix Rs.78800-209200 with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> For the purposes of promotion to the post of Technical Director, service rendered by the incumbent as Joint Director (Electronic Data Processing) [re-designated as Joint Director (Information Technology)] shall also be counted.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered</p>

		<p>for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short- term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -12 in the pay matrix Rs.78800-209200 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Master Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognized University or Institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Twelve years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organizing computerized information storage and retrieval system or data security in a Government office or public sector undertaking or an autonomous or statutory organisation or in any recognized institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by</p>
--	--	---

		<p>promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman</li> <li>Registrar General, India -Member</li> <li>Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs or Additional Registrar General, India, Office of Registrar General, India -Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Joint Director (Information Technology).	12*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrixRs.78800-209200.	Selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Deputy Director (Information Technology) with five years regular service in level-11 in the pay matrixRs.67700-208700 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.</p>



		<p><b>Note 1:</b> For the purposes of promotion to the post of Joint Director, (Information Technology), service rendered by the incumbent as Deputy Director (Electronic Data Processing) [re-designated as Deputy Director (Information Technology)] shall also be counted.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short- term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level- 11 in the pay matrix Rs.67700-208700 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Master Degree in Computer Application or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) ten years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security in a Government Office or public sector undertaking or autonomous or statutory organisation or in any recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible</p>
--	--	---

		<p>for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman</li> <li>Registrar General, India -Member</li> <li>Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs or Additional Registrar General, India, Office of the Registrar General, India -Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Director (Information Technology).	38*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix Rs.67700-208700.	Selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant Director (Information Technology) with five years regular service in level-10 in the pay matrix Rs.56100-177500 and possessing the following educational qualifications and training, namely:-</p> <p>(a) Master Degree in Computer Applications or Computer</p>

		<p>Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(b) have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.</p> <p><b>Note 1:</b> The requirement of possessing the educational qualifications prescribed for officer in the feeder grade shall not be applicable for promotion in respect feeder grade officers who were holding the post on regular basis as on the date of publication of these rules.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of promotion to the post of Deputy Director, (Information Technology), service rendered by the incumbents as Assistant Director (Electronic Data Processing) and Assistant Director (Data Centre) [re-designated as Assistant Director (Information Technology)] shall also be counted.</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institution or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level – 10 in the pay matrix Rs.56100-177500 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Master Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in</p>
--	--	---

		<p>Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Five years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security in a Government Office or public sector undertaking or an autonomous or statutory organisation or in any recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee</b> <b>(for considering promotion) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar General, India - Chairman</li> <li>2. Additional Registrar General, India or Director(Administration), Office of the Registrar General, India -Member</li> <li>3. Senior Technical Director or Technical Director, Office of the Registrar General, India - Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short- term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant Director (Information Technology).	87*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix Rs.56100-177500.	Selection

(6)	(7)	(8)
<p>Not exceeding 35 years.</p> <p><b>Note 1:</b> Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science or Software Engineering from a recognised University or Institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) three years' experience in electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No

(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits and promotees.	67 percent. by promotion 33 percent. by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Programmer with two years' regular service in level -8 in the pay matrix Rs.47600-151100 and have successfully completed three weeks Data Processing Level -1 training from the training unit of Office of the Registrar General, India.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p><b>1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1). Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman</p> <p>(2). Registrar General, India -Member</p> <p>(3). Senior Technical Director or Technical Director, Office of the Registrar General, India -Member.</p> <p><b>2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1). Registrar General, India -Chairman</p> <p>(2). Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India -Member</p> <p>(3). Senior Technical Director or Technical Director, Office of the Registrar General, India -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Programmer.	228*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix Rs.47600-151100.	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Data Processing Assistant Grade 'B' with two years' regular service in level-7 in the pay matrix Rs.44900-142400 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute to be prescribed by the Office of the Registrar General, India.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short- term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level-7 in the pay matrix Rs.44900-142400 in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science or Software Engineering from a recognised University or institute; or</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in</p>

		<p>Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or data base management or cyber security.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b></p> <p>1. Registrar General, India -Chairman</p> <p>2. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India -Member</p> <p>3. Senior Technical Director or Technical Director, Office of the Registrar General, India -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short- term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Data Processing Assistant Grade 'B'.	332*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial.	Level -7 in the pay matrix Rs.44900-142400.	Selection



(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b> Data Processing Assistant Grade 'A' with five years' regular service in level-6 in the pay matrix Rs.35400-112400 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.</p> <p><b>Note 1:</b> For the purposes of promotion to the post of Data Processing Assistant Grade 'B', service rendered by the incumbent as Senior Supervisor (re-designated as Data Processing Assistant Grade 'A') shall also be counted.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or recognised research institution or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix Rs.35400-112400 in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -</p>

		<p>(i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Software Engineering or Computer Science from a recognised University or Institute; or</p> <p>(ii) (a) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(b) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or data base management or cyber security.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</b></p> <p>1. Registrar General, India -Chairman</p> <p>2. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India -Member</p> <p>3. Technical Director or Joint Director (Information Technology), Office of the Registrar General, India -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Data Processing Assistant Grade 'A'.	600*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -6 in the pay matrix Rs.35400-112400.	Selection.

(6)	(7)	(8)
<p>Not exceeding 30 years.</p> <p><b>Note 1:</b> Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age limits shall be as advertised by the Staff Selection Commission .</p>	<p>(a) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute; or</p> <p>(b) (i) Bachelor Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or database management or cyber security.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes</p>	No

	or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	--	--

(9)	(10)	(11)
two years for direct recruits and promotees.	80 percent. by promotion failing which by direct recruitment. 20 percent. by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Data Entry Operator Grade 'B' with six years regular service in level-5 in the pay matrix Rs.29200- 92300 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from the institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p><b>1. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <p>(1). Registrar General, India -Chairman</p> <p>(2). Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India -Member</p> <p>(3). Technical Director or Joint Director (Information Technology), Office of the Registrar General, India - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p><b>2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>(1). Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of Registrar the General, India - Chairman</p> <p>(2). Joint Director(Information Technology), Office of the Registrar General, India - Member;</p> <p>(3). Deputy Director (Information Technology), Office of the Registrar General, India - Member.</p>	
---	--

[F. No. A-51011/1/2016-Ad.V]

Dr. VIVEK JOSHI, Registrar General & Census Commissioner, India